भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 411

जिसका उत्तर 22.07.2026 को दिया जाना है

नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण

411 डा. कविता पाटीदार:
श्री विनोद श्रीधर तावडे:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
श्री रामराव सखाराम वाडकुटे:
श्री नरेश बंसल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) चल रहे और पूर्ण हो चुके नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति क्या है और अब तक आवंटित, निर्माणाधीन और पूर्ण की जा चुकी लंबाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित कार्यान्वयन तंत्रों या अनुबंध संबंधी सुधारों के माध्यम से विलंबित राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सहित सभी चल रही परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए एक तंत्र (फ्रेमवर्क) स्थापित किया है। इसमें संबंधित राज्य सरकार सहित सरकार के राज्य और केंद्र स्तर पर सभी हितधारकों को शामिल करते हुए परियोजना की समीक्षा शामिल है।

(ख) देश भर में कुल 10,389 किलोमीटर नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए आवंटन किया गया है, जिनमें से 4,809 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है और 5,580 किलोमीटर निर्माणाधीन है। आवंटित लंबाई, निर्माणाधीन, पूर्ण और परिचालन में मौजूद नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति अनुलग्नक पर संलग्न है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार ने विभिन्न पहलें की हैं। इनमें भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित और त्वरित करने के लिए **भूमीराशि** पोर्टल और जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करना, वन और पर्यावरण मंजूरी को तेजी से सक्षम करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से "परिवेश" पोर्टल का नवीनीकरण करना, रेलवे से सड़क उपरिपुल/सड़क अधेगामी पुल (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन मंजूरी को सक्षम करना, और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में बाधाओं/अवरोधों की समीक्षा और समाधान के कार्य-तंत्र का लाभ उठाना शामिल है।

'**नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण**' के संबंध में डॉ. कविता पाटीदार, श्री विनोद श्रीधर तावड़े, श्री केसरीदेवसिंह झाला, श्री रामराव सखाराम वाडकुटे, श्री नरेश बंसल के द्वारा दिनांक 22.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 411 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण की गई लंबाई (किमी)	निर्माणाधीन लंबाई (किमी)	कुल आवंटित (किमी)
आंध्र प्रदेश	308	585	893
असम	0	121	121
बिहार	0	589	589
छत्तीसगढ़	170	303	472
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0	6	6
दिल्ली	100	0	100
गुजरात	605	160	764
हरियाणा	615	223	839
हिमाचल प्रदेश	0	75	75
जम्मू और कश्मीर	0	137	137
झारखंड	0	235	235
कर्नाटक	314	265	579
मध्य प्रदेश	372	267	639
महाराष्ट्र	103	130	233
ओडिशा	240	147	387
पुदुचेरी	0	1	1
पंजाब	149	774	923
राजस्थान	1,192	148	1,340
तमिलनाडु	161	200	361
तेलंगाना	56	445	501

उत्तर प्रदेश	388	496	884
उत्तराखंड	34	33	67
पश्चिम बंगाल	0	242	242
कुल योग	**4,809**	**5,580**	**10,389**
